

कायद
क्रमांक:- 37-155/FS/BL

स्वेत फेस प्रथम सेक्टर-2 नोरडा
दिनांक- 18-9-04

मुख्य वास्तुविद नियोजक
भवन प्रकोष्ठ
नोरडा

विषय:- प्रस्तावित स्कूल भवन दिगम्बर जैन सोसायटी फॉर चाइल्ड वेलफेयर प्लॉट न०
आर०-52,51ए सेक्टर-11 नोरडा में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में
तुलना । भूतल कवर्ड एरिया-442 वर्ग मीटर, अग्रेड- 17 मी०

महोदय,

कृपया आपके इंडोल्मेंट पत्र दिनांक- 8. 9. 04 के अनुपालन में उपरोक्त
विषयक प्रस्तावित भवन से सम्बन्धित मानचित्र का अवलोकन किया गया। मानचित्र में
नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानक के अनुसार अग्नि शमन व्यवस्था का
विवरण अंकित है जो सन्तोषजनक है।

भवन में अग्नि की सुरक्षा की दृष्टिकोण से दृष्टांतगत सुरक्षा व्यवस्था एवं अग्नि
से सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 1983 के रेमेन्डमेंट न०-3,
जनवरी 1997 के अनुसार कराया जाना अत्यावश्यक है।

उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन भवन में ही अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं
का निरीक्षण कराना आवश्यक है ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

भवन निर्माण हो जाने पर भवन में दृष्टांतगत सुरक्षा व्यवस्था एवं अग्नि से सुरक्षा
व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानक के अनुसार पूर्ण होने पर
निरीक्षणोपरान्त ही अन्तिम रूप से आपूर्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

आतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर भवन निर्माण हेतु अग्रेड आपूर्ति
प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नोरडा

अग्नि शमन अधिकारी
नोरडा
गौतमबुद्ध नगर
(आर० सी० ब्लॉक)
अग्नि शमन अधिकारी
सेक्टर-1, नोरडा

प्रतिलिपि:- प्रबन्धक प्रस्तावित स्कूल भवन दिगम्बर जैन सोसायटी फॉर चाइल्ड
वेलफेयर प्लॉट न०-आर-52,51ए नोरडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु
सूचनाार्थ ।